कार्यालय कलेक्टर ।जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 5469 / वाचक / 2019

सूरजपुर, दिनांक 01.10.2019

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
संभाग सूरजपुर (छ.ग.)

विषयः– सूरजपुर जिले में प्रस्तावित जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित वन भूमि के एवज में दुगुने क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित करने बावत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 1382 / तक / 2019 सूरजपुर, दिनांक 31.7.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / 2251 / वाचक / 16 सूरजपुर, दिनांक 01.06.16.

----0----

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा पांच वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में ग्राम बकिरमा, तहसील--प्रेमनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 780 रकबा 51.34 हे. में से संयुक्त जिला कार्यालय भवन हेतु 4.046 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि का चयन किया जाकर, वन विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। उपरोक्त भूमि के चयनित रकबा 4.046 हे. में से प्रस्तावित जिला कोर्ट भवन में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु दुगुने 3.64 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर के पत्र क्रमांक / 1538 / वाचक / 2019 सूरजपुर, दिनांक 21.8.2019 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–बकिरमा, तहसील–प्रेमनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 780 रकबा 51.34 हे. छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 4.05 हे में तीन साल, दो तेन्दू, एक सीधा, दो महुआ के वृक्ष स्थित है। प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। आवेदित भूमि अटेम नदी के किनारे स्थित है। वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है।

अतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 01.06.2016 के माध्यम से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की कंडिका 01 में उल्लेखित प्रयोजन में आंशिक संशोधन किया जाकर, जिला कोर्ट भवन सूरजपुर के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 1.82 हे. भूमि के एवज में ग्राम–बकिरमा, तहसील–प्रेमनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 780 रकबा 51.34 हे. में से रकबा 3.64 हे. को वैकल्पिक वृक्षारोपण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला–सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक 01 / 10 / 2019

पृष्ठांकन क्रमांक / 5469A / वाचक / 2019

प्रतिलिपि,

1. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. तहसीलदार प्रेमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्त भूमि का सीमांकन कर वन विभाग को उपलब्ध कराकर, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
जिला--सूरजपुर

क्रमांक 2427 / ... दिनांक 14/10

प्रतिलिपि:- अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) ... प्रेमनगर की ओर ... सूरजपुर / प्रेमनगर ... आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ...

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. (भ/स) संभाग सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

1529
11/10/19
D.COURT/MAMO

Scanned with CamScanner